Form No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अाज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम श्रीडूंगरगढ

हरिदेवी पत्नी नवरतन जाति जाट निवासी तेजरासर, बीकानेर बनाम स्टेट जरिये तहसीलदार श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

राजस्व अपील मुकदमा नम्बर 03 /2024 **U/S 75 LRA**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
16.04.2024	आज यह पत्रावली हरिदेवी पत्नी नवरतन जाति जाट निवासी तेजरासर, बीकानेर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 04.04.2024 में तहसीलदार श्रीडूंगरगढ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 12.04.2024 पेश करने पर अन्तर्गत धारा 75 एलआर एक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर की गई। प्रार्थिनी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि श्रीमति हरिदवी पत्नी स्व. नवरत्न जाखड ने जमीन खेत खसरा नंबर/खाता संख्या 494 नया खसरा 573 ग्राम तोलियासर तहसील श्रीडूंगरगढ बीकानेर में खरीदा, रजिस्ट्री दर्ज हो गई है। परन्तु अतिशय कारणों के कारण रजिस्ट्री ऑनलाईन अपना खाता में दर्ज नहीं हो पा रही है। अतः खेत रजिस्ट्री को ऑनलाईन करनें में आ रही बाधा दूर करने की कृपा करें। प्रार्थिनी के उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में तहसीलदार श्रीडूंगरगढ द्वारा अपना जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी हरिदेवी जाखड पत्नी स्व. नवरतन जाखड निवासी तेजरासर के प्रार्थना पत्र के संबंध में भू.अभिलेख निरीक्षक ठुकरियासर एवं पटवारी हल्का तोलियासर से तथ्यात्मक रिपोर्ट ली गई, जिसके मुताबिक रोही ग्राम तोलियासर में भूमि खसरा नं. 573 तादादी 7.47 हैक्टेयर पंजीबद्ध बेचान पंजीयन क्रमांक 202303375107666 दिनांक 25.10.2023 के अनुसार रूखमादेवी का सम्पूर्ण हिस्सा हरिदेवी पत्नी नवरतन के नाम बेचान होने से पंजीबद्ध दस्तावेजानुसार पटवारी हल्का द्वारा ग्राम तोलियासर के नामान्तरण संख्या 1863 दिनांक 23.02.2024 को दर्ज कर 25.02.2024 को ग्राम तोलियासर के नामान्तरकरण संख्या 1863 दिनांक 23.02. 2024 को दर्ज कर 25.02.2024 को ग्राम पंचायत (सरपंच) की आईडी पर भेज दिया गया। जिसको ग्राम पंचायत तोलियासर द्वारा दिनांक 19.03.2024 को निरस्त कर दिया गया। जबकि ग्राम पंचायत तोलियासर की नामान्तरकरण निर्णय के संबंध में जांच रिपोर्ट (टिप्पणी) ग्राम पंचायत की मिटिंग में स्वीकृत किया जाता है। अंकित की गई है। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त नाम[illegible] को निरस्त करनें बाबत कोई कारण अपनी जांच रिपोर्ट (टिप्पणी) में अंकित नहीं किया गया है। [illegible] नामान्तरकरण को निरस्त किया गया है। हमने प्रार्थिनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थ[illegible] पत्र एवं तहसीलदार श्रीडूंगरगढ द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र कें संबंध में प्रस्तुत जवाब एवं दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं दस्तावेजात के अवलोकन से यह प्रतीत होता है, कि रोही ग्राम तोलियासर में भूमि खसरा नं. 573 तादादी 7.47 हैक्टेयर पंजीबद्ध बेचान पंजीयन क्रमांक	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.05.15 13:32:09 IST
Reason: SelfAttested

202303375107666 दिनांक 25.10.2023 के अनुसार रूखमादेवी का सम्पूर्ण हिस्सा हरिदेवी पत्नी नवरतन के नाम बेचान होने से पंजीबद्ध दस्तावेजानुसार पटवारी हल्का द्वारा ग्राम तोलियासर के नामान्तरण संख्या 1863 दिनांक 23.02.2024 को दर्ज कर 25.02.2024 को ग्राम तोलियासर के नामान्तरकरण संख्या 1863 दिनांक 23.02.2024 को दर्ज कर 25.02.2024 को ग्राम पंचायत (सरपंच) की आईडी पर भेज दिया गया। जिसको ग्राम पंचायत तोलियासर द्वारा दिनांक 19.03.2024 को निरस्त कर दिया गया। जबकि ग्राम पंचायत तोलियासर की नामान्तरकरण निर्णय के संबंध में जांच रिपोर्ट (टिप्पणी) ग्राम पंचायत की मिटिंग में स्वीकृत किया जाता है। अंकित की गई है। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त नामान्तरकरण को निरस्त करनें बाबत कोई कारण अपनी जांच रिपोर्ट (टिप्पणी) में अंकित नहीं किया गया है। बिना किसी आधार के नामान्तरकरण को निरस्त किया गया है। लिहाजा तहसीलदार श्रीडूंगरगढ को आदेशित किया जाता है कि रोही ग्राम तोलियासर के खसर नंबर 573 तादादी 7.47 हैक्टेयर के संबंध में दर्ज नामान्तरण संख्या 1863 दिनांक 23.02.2024 जो ग्राम पंचायत तोलियासर की नामान्तरकरण निर्णय के संबंध में जांच रिपोर्ट (टिप्पणी) ग्राम पंचायत की मिटिंग में स्वीकृत किया जाता है, अंकित की गई है, परन्तु ग्राम पंचायत (सरपंच) की आईडी द्वारा दिनांक 19.03.2024 को बिना किसी युक्तियुक्त कारण के निरस्त कर दिया गया है जो कि विधिनुसार उचित नहीं है उक्त नामान्तरकरण को प्रार्थिनी हरिदेवी पत्नी नवरतन के नाम बेचान के आधार पर नियमानुसार पुनः दर्ज किया जाना सुनिश्चित करें। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ तदनुसार पालना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिनांक 16.04.2024 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.05.15 13:32:09 IST
Reason: SelfAttested